रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14122021-231857
CG-DL-E-14122021-231857

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4807] नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 14, 2021/अग्रहायण 23, 1943
No. 4807] NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 14, 2021/AGRAHAYANA 23, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 13 दिसम्बर, 2021

का.आ. 5188(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महाराष्ट्र तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का, जो राजपत्र में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी तीन वर्षों की अवधि के लिए, गठन करती है जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:-

क्रम सं.	सदस्य	प्रास्थिति
(1)	(2)	(3)
1.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव अथवा सचिव, वन और पर्यावरण विभाग, महाराष्ट्र सरकार	अध्यक्ष, पदेन
2.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव अथवा सचिव, राजस्व विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
3.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव अथवा सचिव, शहरी विकास विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन

4.	मत्स्य पालन आयुक्त या संयुक्त आयुक्त (समुद्रीय) या मत्स्य पालन सहायक आयुक्त (समुद्रीय), मत्स्य पालन विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
5.	अपर मुख्य सचिव या प्रधान सचिव अथवा सचिव, उद्योग विभाग, महाराष्ट्र सरकार	सदस्य, पदेन
6.	नगरपालिका आयुक्त, ग्रेटर मुम्बई नगर निगम या ग्रेटर मुम्बई नगर निगम द्वारा पदाभिहित/नामनिर्दिष्ट उपसचिव से अन्यून स्तर का अधिकारी	सदस्य, पदेन
7.	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मेन्ग्रोव सेल, मुम्बई या मेन्ग्रोव सेल द्वारा नामनिर्दिष्ट उप मुख्य वन संरक्षक से अन्यून स्तर का अधिकारी	सदस्य, पदेन
8.	निदेशक, केंद्रीय मत्स्य पालन अनुसंधान, मुम्बई अनुसंधान केंद्र, अंधेरी, मुम्बई	सदस्य, पदेन
9.	डॉ अनिल के. चौबे, पूर्व-निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, राष्ट्रीय समुद्री विज्ञान संस्थान (एनआईओ), अंधेरी, मुम्बई	सदस्य, विशेषज्ञ
10.	डॉ. महेश आर. शिंदीकर,, प्राचार्य, इंजिनियरी महाविद्यालय, पुणे	सदस्य, विशेषज्ञ
11.	श्री मारूती डी.कुडाले, पूर्व-अपर निदेशक, केन्द्रीय जल और शक्ति अनुसंधान स्टेशन, पूणे	सदस्य, विशेषज्ञ
12.	श्री अनीश अंधेरिया, वन्य जीव संरक्षण न्यास, 11वां तल, मफ्तलाल सेंटर, नरीमन प्वाइंट, मुम्बई, विशेषज्ञ सदस्य के रूप में	सदस्य, विशेषज्ञ
13.	बाम्बे नैचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, होमबिल हाउसफोर्ट, मुम्बई-400001 का एक प्रतिनिधि	सदस्य, गैर-सरकारी संगठन
14.	निदेशक, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, महाराष्ट्र सरकार, भुवनेश्वर	सदस्य-सचिव, पदेन

2. प्राधिकरण का मुख्यालय मुम्बई में होगा।

3. प्राधिकरण की बैठक की गणपूर्ति, उसके कुल सदस्यों की एक तिहाई सदस्य होगी।

4. पदेन सदस्य से भिन्न सदस्य को, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकथित मानकों के अनुसार भत्ते देय होंगे।

5. हित सघर्ष से बचने के लिए कोई सदस्य किसी परियोजना के जिसमें उन्होंने परामर्शी सेवाएं प्रदान की है अंकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण की किसी बैठक से विलग रहेगा ।

6. प्राधिकरण, ओडीशा राज्य में तटीय पर्यावरण की क्वालिटी को संरक्षित करने और सुधारने तथा तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रदूषण के निवार, उपशमन और नियंत्रण के उद्देश्यों के लिए निम्नलिखित उपाय करेगा, अर्थात्:-

(i) प्राधिकरण, परियोजना प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए आवेदन प्राप्ति के पश्चात्, यदि वह अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना के अनुसरण में हैं और भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा का.आ. संख्याक 20(अ), तारीख 6 जनवरी, 2011 और सा.का.नि. संख्यांक 37(अ), तारीख 18 जनवरी, 2019 द्वारा जारी की गई तटीय विनिमय जोन अधिसूचना (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) की अपेक्षाओं के भीतर है तो उसका परीक्षण करेगा और संबद्ध प्राधिकरण ऐसी परियोजना के अनुमोदन के लिए, जैसा कि उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट है, ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से साठ दिनों के भीतर सिफारिश करेगा;

(ii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए गए के अनुसार तटीय विनिमय जोन में सभी विकासात्मक क्रियाकलापों को विनियमित करेगा;

(iii) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के उपबंधों का प्रवर्तन और मानीटरी के लिए उत्तरदायी होगा;

(iv) प्राधिकरण, तटीय विनिमय जोन क्षेत्रों और तटीय जोन प्रबंध योजना के वर्गीकरण में परिवर्तन या उपांतरणों के लिए राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों की परीक्षा करेगा और राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंधन प्राधिकरण को उस पर विनिर्दिष्ट सिफारिश देगा;

(v) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अभिकथित अतिक्रमण के मामलों में जांच करेगा और उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अतिक्रमण या उल्लंघन को अंतर्वलित करने वाले मामलों का पुनर्विलोकन करेगा;

(vi) प्राधिकरण, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण या उल्लंघन के मामलों में स्वप्रेरणा से या किसी व्यष्टि या निकाय या संगठन द्वारा किए गए परिवाद के आधार पर जांच या पुनर्विलोकन करेगा;

(vii) प्राधिकरण, उक्त अधिनियम की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए प्राधिकृत है;

(viii) प्राधिकरण, उसके समक्ष तथ्यों को सत्यापित करने के लिए जैसा अपेक्षित है, उक्त अधिनियम की धारा 10 के अधीन कार्रवाई करेगा।

7. प्राधिकरण, अपने कृत्यों में पारदर्शिता बनाए रखने के उद्देश्य के लिए एक समर्पित वेबसाइट तैयार करेगा और इसके कृत्य, जिसके अंतर्गत बैठकों में कार्यसूची, बेठकों का कार्यवृत्त, प्रत्येक बैठकों में किए गए विनिश्चय, उक्त अधिसूचना के अतिक्रमण तथा उल्लंघन के मामलों में सिफारिशे और ऐसे अतिक्रमण तथा उल्लंघन पर की गई कार्रवाई और न्यायालय मामले जिसके अंतर्गत न्यायालयों के आदेश हैं और राज्य सरकार की अनुमोदित तटीय जोन प्रबंध योजना से संबंधित सूचना डालेगा।

8. प्राधिकरण छह माह में कम से कम एक बार अपने क्रियाकलापों की रिपोर्ट राष्ट्रीय तटीय जोन प्रबंध प्राधिकरण को भेजेगा।

[फा. सं. 12-5/2005-आईए-III (भाग)]

डा. सुजीत कुमार बाजपेयी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

ORDER

New Delhi, the 13th December, 2021

S.O. 5188(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby constitutes the Authority namely, the Maharashtra Coastal Zone Management Authority (hereinafter referred to as the Authority) consisting of the following persons, for a period of three years, with effect from the date of publication of this order in the Official Gazette, namely:-

S. No.	**Members**	**Status**
(1)	**(2)**	**(3)**
1.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra	Chairperson, *ex-officio;*
2.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Revenue Department, Government of Maharashtra	Member, *ex-officio;*
3.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary Urban Development Department, Government of Maharashtra.	Member, *ex-officio;*
4.	Commissioner or Joint Commissioner of Fisheries (Marine) or Assistant Commissioner of Fisheries (Marine), Fisheries Department, Government of Maharashtra	Member, *ex-officio;*
5.	Additional Chief Secretary or Principal Secretary or Secretary, Industry Department, Government of Maharashtra	Member, *ex-officio;*
6.	Municipal Commissioner, Municipal Corporation of Greater Mumbai or Officer not below the rank of Deputy Secretary designated/nominated by Municipal Corporation of Greater Mumbai	Member, *ex-officio;*

7.	Additional Principal Chief Conservator of Forest, Mangrove Cell, Mumbai or Officer not below the rank of Deputy Chief Conservator of Forest nominated by Mangrove Cell.	Member, *ex-officio;*
8.	Director, Mumbai Research Centre of Central Marine Fisheries Research, Versova, Andheri, Mumbai	Member, *ex-officio;*
9.	Dr. Anil K. Choubey, Ex-Director, Regional Office, National Institute of Oceanography (NIO), Andheri, Mumbai	Member, *Expert;*
10	Dr. Mahesh R. Shindikar, Professor, College of Engineering, Pune	Member,*Expert;*
11.	Mr. Maruti D. Kudale, Ex-Additional Director, Central Water and Power Research Station, Pune	Member,*Expert;*
12.	Shri Anish Andheria, Wildlife Conservation Trust, 11th Floor, Mafatlal Centre, Nariman Point, Mumbai-400021	Member,*Expert;*
13.	A representative of Bombay Natural History Society(BNHS), Hombill House Fort, Mumbai-400001	Member, *Non-Government Organisation;*
14.	Director, Environment and Climate Change Department, Government of Maharashtra	Member Secretary

2. The Authority shall have its headquarters at Mumbai.

3. The quorum for the meeting of the Authority shall be one-third of the total number of its Members.

4. A Member, other than an *ex-officio* Member, shall be paid allowances as per the norms laid down by the Central Government.

5. In order to avoid any conflict of interest, a member shall recuse himself from the meeting of the Authority, in the process of appraisal of any project, for which they have rendered consultancy service.

6. The Authority shall, for the purposes of protecting and improving the quality of the costal environment and preventing, abating and controlling environmental pollution in the Coastal Regulation Zone areas in the State of Maharashtra, take the following measures, namely: -

(i) the Authority shall, after receiving the application for approval of project proposal, examine the same if it is in accordance with the approved Coastal Zone Management Plan and within the requirements of the Island Protection Zone notification issued by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests and published *vide* number S.O.20(E), dated the 6th January, 2011 and G.S.R. 37(E), dated the 18th January, 2019 (hereinafter referred to as the said notifications), and make recommendations for approval of such project to the concerned authority, as specified in the said notifications, within a period of sixty days from the date of receipt of such application;

(ii) the Authority shall regulate all developmental activities in the Coastal Regulation Zone areas as specified in the said notifications;

(iii) the Authority shall be responsible for enforcing and monitoring the provisions of the said notifications;

(iv) the Authority shall examine the proposals received from the Union territory Administration for changes or modifications in the classification of Coastal Regulation Zone areas and in the Coastal Zone Management Plan and make specific recommendations thereon, to the National Coastal Zone Management Authority;

(v) the Authority shall inquire into cases of alleged violation of the provisions of the said Act or the rules made thereunder, and review the cases involving violations or contraventions of the provisions of the said Act and the rules made thereunder;

(vi) the Authority shall inquire or review cases of violations or contraventions of the said notifications *suo-moto*, or on the basis of a complaint made by any individual or body or organisation;

(vii) the Authority is authorised to file complaints under section 19 of the said Act;

(viii) the Authority shall take such action as may be required under section 10 of the said Act, to verify the facts of the cases before it.

7. The Authority shall, for the purpose of maintaining transparency in its functioning, create a dedicated website and post the information relating to its functions, including the agenda in its meetings, minutes of the meetings, decisions taken in each meeting, recommendations for matters on violations and contravention of the said notifications and actions taken on such violations and contraventions, court matters including the orders of the courts and the approved Coastal Zone Management Plan of the State Government.

8. The Authority shall furnish reports of its activities at least once in six months to the National Coastal Zone Management Authority.

[F. No. 12-5/2005-IA.III (part)]

Dr. SUJIT KUMAR BAJPAYEE, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.12.14 22:20:43 +05'30'